18. A crucial consideration is the criminal antecedents of the accused, which must be seriously evaluated. If the accused has a history of criminal behavior, unexplained or otherwise, it could weigh heavily against the grant of anticipatory bail.

19. Given the preventive nature of anticipatory bail, the parameters and conditions imposed are typically stricter. These measures are necessary to prevent any misuse of the bail and to ensure the accused does not obstruct the course of justice by tampering with evidence, influencing witnesses, or evading trial.

20. Ultimately, the court seeks to strike a delicate balance between safeguarding individual liberty and upholding the interests of justice and public safety.

21. It is true that the opposite party no.2 has criminal antecedents and that too has not been explained, as such, the order granting anticipatory bail to the applicant cannot be sustained and him being a practising advocate makes his case worse. His anticipatory bail was hit by Section 438(1)(ii) Cr.P.C. also.

22. After hearing the parties and taking into consideration that the accused/respondent no.2 has not mentioned the factum of previous criminal antecedents. Although, it may be true that the closure report may have been filed. It is further added that the counsel for the accused/respondent no.2 has even not filed the said closure reports or any order indicating the accepting of said closure report in this counter affidavit also and it has also to be considered that the fact finds mentioned in paragraph no.3 of the bail order dated 09.06.2023 whereby it has been stated that the accused/respondent no.2 has no criminal antecedents. Therefore, the impugned order dated 09.06.2023 passed by Sessions Judge, Rampur in Crl. Misc. Anticipatory Bail Application No. 906 of 2023 is not sustainable and is liable to be set aside.

23. In view of the above, the instant bail cancellation application is allowed. The impugned bail order dated 09.06.2023 passed by learned Sessions Judge, Rampur is hereby set aside.

24. However, three weeks' time from the date of pronouncement of this Judgment is granted to opposite party no. 2 to surrender before the concerned Trial Court and thereafter it will be open for them to pray for regular bail, which may be considered in accordance with law laid down by the Apex Court in the case of **Satender Kumar Antil vs. Central Bureau of Investigation and another.**

(2024) 11 ILRA 541
APPELLATE JURISDICTION
CRIMINAL SIDE
DATED: ALLAHABAD 14.11.2024

BEFORE

THE HON'BLE ASHWANI KUMAR MISHRA, J.
THE HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

Criminal Appeal No. 2289 of 2022

Ram Krishna @ Ram Kishan ...Appellant
Versus
State of U.P. & Ors. ...Respondents

Counsel for the Appellant:
Aman Kumar, Surendra Pal

Counsel for the Respondents:
G.A.

Criminal Law - Criminal Procedure Code, 1973 - Sections 161, 164 & 313 - Indian Penal Code, 1860 - Sections – 376-d, 506 & 506(2) - The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 – Sections 3, 4 & 42: - Appeals – against Conviction and Sentence – FIR - offence of abduction and sexually assault to a minor girl - charges-sheet - cognizance – sentence –- Trial Court relying on witness testimonies and legal precedents - convicted the accused appellant and sentenced to life imprisonment and imposing fines – appeal – Evaluation of Evidence - the appellate court found, - significant inconsistencies in the evidence, - contradictions in the victim's St.ments - delay in FIR registration and - the trial court failed to comment on the medico-legal report, a crucial piece of evidence - the appellate court ruled that the prosecution failed to establish the allegations beyond reasonable doubt, granting the appellant the benefit of doubt, consequently – held, the prosecution failed to prove the allegations beyond a reasonable doubt - impugned judgment set aside – present appeal is allowed – acquitted from charges - direction issued for releasing him, accordingly. (Para – 20, 21, 22)

Appeal Allowed. (E-11)

<u>List of Cases cited</u>:

1. Sadashiv Ramrao Hadbe Vs St. of Mah., 2007 (1) SCC (Cri.) 161,

2. Ganga Singh Vs St. of M.P. from 2013 AIR SC 3008,

3. Parminder Vs Delhi St. - 2014 vol. 2 SCC 592,

4. St. of T.N. Vs Ravi @ Nehru - 2006 vol. 55 ACC – 1005 SC,

(Delivered by Hon'ble Dr. Gautam Chowdhary, J.)

१. अपीलार्थी/अभियुक्त **राम किशोर उर्फ राम किशन** की ओर से यह दाण्डिक अपील, मु०अ०सं० 436/2018 अन्तर्गत धारा 376डी, 506 भा०दं०वि० एवं धारा 3/4 लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, थाना नवाबगंज, जनपद बरेली से उद्‌भूत फौजदारी वाद सं० 303 वर्ष 2020 में विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, बरेली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.02.2022, जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 376डी भा०दं०वि० के अधीन आजीवन कारावास एवं एक लाख रूपये के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में छः-छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास तथा धारा 506 (2) भा०दं०वि० के अधीन पांच वर्ष कारावास एवं सात हजार रूपये के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में एक माह का अतिरिक्त करावास के दण्ड से दण्डित किया गया है, के विरूद्ध योजित किया गया है।

२. वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोगी सोहनलाल निवासी ग्राम पचुआ पैगा, थाना नवाबगंज, जिला बरेली ने इस आशय का टाइपशुदा प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली को दिया कि उसकी नाबालिग पुत्री/पीड़िता, उम्र करीब सोलह वर्ष दिनांक 31.8.2018 को सुबह करीब 08.00 बजे उसके ममेरे साले का लड़का कृष्णपाल पुत्र शंकरलाल, निवासी इटौआ केदारनाथ, थाना भोजीपुरा, बरेली दवा दिलाने ग्राम बरौर गया था, लेकिन बरौर न जाकर रास्ते में कृष्णपाल के बहनोई का भाई नाम नही

मालूम, निवासी अमसा, थाना हाफिजगंज आ गया और अभियोगी की पुत्री पीड़िता को रूमाल से कुछ सुघां दिया, जिससे यह बेहोश हो गयी और अंजान जगह ले जाकर दोनों ने बारी-बारी पीड़िता के साथ अश्लील हरकते की व बिना मर्जी के बुरा काम किया। पीड़िता को जब होश आया तो वह नग्न अवस्था में थी, दोनों लोग पीड़िता की फोटो खींच रहे थे और पीड़िता से एक सादे कागज पर अंगूठा लगवा लिया और कहां कि अगर कोई कार्यवाही की तो तुम्हारा फोटो सब को दिखा देंगे और यह कागज तेरी मर्जी से लिख लेंगे, सबको दिखा देंगे, फिर रूमाल मुँह पर रख दिया जिससे वह पुनः बेहोश हो गयी। शाम को जब आँख खुली तो देखा कि एक खेत की मेड़ पर लेटी है। प्रार्थी की पुत्री/पीडिता उठी और सहमी हुई रोड पर आयी तो देखा कि गाँव हमसा की रोड है और बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुँची। सारी घटना पीड़िता ने अपनी माँ को बताया, तब उसकी की पत्नी ने उसे खेत से बुलाया और सभी लोग कृष्णपाल के घर गये, परन्तु वहाँ कोई नहीं मिला। अगले दिन दिनांक 01.9.2018 को अभियोगी थाना नवाबगंज गया, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। प्रार्थी काफी मानसिक रूप से परेशान हो रहा है। याचना की गयी कि रिपोर्ट दर्ज करके कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

३. अभियोगी के तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज, जिला बरेली पर मु०अ०सं0-436/2018, अन्तर्गत धारा 376 भा०दं०सं० व धारा 3/4 पाक्सो अधिनियम में अपीलार्थी/अभियुक्त कृष्णपाल एवं कृष्णपाल के बहनोई के भाई नाम नहीं मालूम के विरूद्व पंजीकृत की गयी। विवेचक द्वारा इस मामले की विवेचना के दौरान दिनांक 29.09.2018 व दिनांक 24.11.2018 को पीड़िता की मां, पीड़िता का मजीद बयान लेखबद्ध किया गये है। दिनांक 05.10.2018 को पर्चा-5 में पीड़िता की आयु परीक्षण रिपोर्ट का विवरण अंकित किया गया है व पीड़िता द्वारा अपना आतंरिक परीक्षण कराने से इंकार किया गया है तथा दिनांक 20.10.2018 को पीड़िता का धारा 164 दं०प्र०सं० का बयान अंकित किया गया। दिनांक 11.11.2018 को अपीलार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी है। दिनांक 28.11.2018 को पीड़िता की चढ्ढी कब्जा पुलिस लिया गया है, फर्द बनाकर गवाहान के हस्ताक्षर बनवाकर सील मुहर किया गया, जिसको परीक्षण हेतु दिनांक 15.12.2018 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुरादाबाद प्रेषित किया गया है एवं साक्ष्य संकलन के उपरांत अपीलार्थी/अभियुक्त कृष्णपाल व राम किशोर के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

४. अपीलार्थी/अभियुक्त के न्यायालय में हाजिर होने पर दिनाँक 13.08.2019 को आरोप अन्तर्गत धारा-376डी, 506 भा०दं०सं० एवं धारा 4 लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन विरचित किया गया। अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा आक्षेपित आरोप से इंकार करते हुए विचारण किये जाने की माँग किया गया।

५. अभियोजन की तरफ से अभियोजन कथानक को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में टाइपशुदा तहरीर वादी प्रदर्श क-1, मेडिको लीगल रिपोर्ट प्रदर्श क-2, बयान पीड़िता अन्तर्गत धारा 164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-3, संकलित/बरामद पीड़िता का एक अदद चढ्ढी काले रंग का प्रदर्श क-4, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्रदर्श क-5, जी० डी० की प्रति प्रदर्श क-6, नक्शा-नजरी घटनास्थल प्रदर्श क-7, आरोप पत्र प्रदर्श क-8, गिरफ्तारी मेमो अपीलार्थी/अभियुक्त कृष्णपाल व राम किशोर प्रदर्श क-9, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क-10, परीक्षण रिपोर्ट का सीलबन्द लिफाफा प्रदर्श क-11, प्रवेश रजिस्टर पीडिता प्रदर्श क-12, पीडिता का टी०सी० राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोतीनगर, हल्द्वानी प्रदर्श क-13, प्रधानाचार्य राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोतीनगर हल्द्वानी द्वारा निर्गत शैक्षिक प्रमाण पत्र प्रदर्श क-14 तथा प्रवेश पंजिका पीड़िता प्रदर्श क-15 प्रस्तुत किया गया है।

६. अभियोजन की तरफ से अभियोजन कथानक को परिपुष्ट करने के लिए वाचनिक साक्षी के रूप में अभियोजन साक्षी- 01.सोहनपाल, अभियोजन साक्षी- 02. पीड़िता, अभियोजन साक्षी- 03. तारावती, अभियोजन साक्षी- 04. डा० अनीता धस्माना, अभियोजन साक्षी-05. आ० मनोज कुमार, अभियोजन साक्षी-06. उ०नि० दलवीर सिंह, अभियोजन साक्षी-07. श्रीकान्त द्विवेदी, अभियोजन साक्षी-08. प्रधानाचार्य, राजकीय जू० हा० प्राथमिक विद्यालय मोतीनगर, हल्द्वानी को न्यायालय में परीक्षित कराया गया।

७. अपीलार्थी/अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० दिनाँक 10.02.2022 को अंकित किया गया, जिसमें सहअभियुक्त कृष्णपाल द्वारा मुकदमे को तरतीब देने, गलत आरोप लगाने, जया आर्या द्वारा प्रवेश फार्म पेश न करने, जमीन के विवाद के कारण मुकदमा चलना, गवाहान द्वारा गवाही जमीन खरीदने के वास्ते दबाव देने के कारण, देना कहा है तथा जमीन के विवाद में झूठा परेशान करने का भी कथन किया गया है। सफाई में साक्ष्य देने से इंकार किया गया एवं इसी प्रकार का कथन अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर उर्फ राम किशन द्वारा भी किया गया है, परन्तु व्यक्तिगत रूप से पीड़िता को न जानने व झूठा फँसाने का अतिरिक्त कथन किया है।

८. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को प्रमाणित करने के लिए **अभियोजन साक्षी- 01. अभियोगी सोहनपाल** को परीक्षित कराया गया है, जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में अपने धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान की पुनरावृत्ति की गयी तथा अभियोजन साक्षी ने अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। साथ ही यह भी अभिकथित किया गया कि घटना के सम्बन्ध में मेरा बयान दरोगा जी ने लिया था, मैंने घटनास्थल का मौका मुआयना कराया था। जिरह में कथन किया कि अपीलार्थी/अभियुक्त कृष्णपाल, शंकर का लड़का है। मेरे सामने मेरी लड़की किसी के साथ नहीं भागी थी, एक सप्ताह बाद रिपोर्ट लिखाने गया था। पीड़िता जिस दिन गयी थी, उसी दिन आ गयी थी, पीड़िता से मेरी कोई बात नहीं हुई थी जो पत्नी ने मुझे बताया, वही तहरीर में लिखवाया, मैंने यह सूचना एक सप्ताह बाद दी थी।

९. **अभियोजन साक्षी सं० 02. पीड़िता** को परीक्षित कराया गया है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि "घटना आज से लगभग एक साल पहले सुबह आठ बजे की है। घटना वाले दिन मुझे बुखार आ रहा था, मैं दवा लेने बरौर जा रही थी, रास्ते में मेरे ममेरे भाई कृष्णपाल ने जबरदस्ती मोटर साइकिल पर बैठा लिया और मेरे मुँह पर रूमाल लगा दिया तथा सादे कागज पर मेरा अंगूठा लगवा लिया, फिर वह मुझे गन्ने के खेत में जबरदस्ती ले गया और मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम किया। यह घटना दिनॉक 31.8.2018 समय सुबह 8.00 बजे की बरौर कस्बे की है। कृष्णपाल के साथ उसका बहनोई राम किशोर भी था, उसने भी मेरे साथ गलत काम किया। राम किशोर ने मुझे मोटरसाइकिल पर जबरदस्ती बैठाया था। मैं घर पहुँची, घटना के बारे में अपनी माँ से बताया था, घटना के संबंध में पिताजी अगले दिन धाना नवाबगंज रिपोर्ट लिखाने गये थे तो रिपोर्ट नहीं लिखी फिर पिताजी ने एस.एस.पी. बरेली को प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर मेरी रिपोर्ट लिखी गयी, मैंने महिला कांस्टेबल को बोलकर अपने बयान लिखवाया था, गवाह को उसका धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया व दिखाया गया तो कहा कि यह वही बयान है, जो मैने दिया था। मैं हल्द्वानी में पाँच-छः वर्ष से रह रही हूँ, इसके पूर्व मैं अपने गाँव में माता पिता के साथ रहती थी। पाँच-छः वर्ष पूर्व से भी हल्द्वानी आती जाती रहती थी, जब पहली बार होश आया उस समय सत्रह वर्ष की थी, इसके पूर्व कक्षा चार से पढ़ना शुरू किया था, इसके पहले अपने गाँव में बरेली में पढ़ी थी, जब अपीलार्थी/अभियुक्त मुझे ले गये उस समय बरसात का मौसम था। उस समय सुबह आठ बजे डाक्टर के पास बरौर नहीं पहुँची थी, अपीलार्थी/अभियुक्त ने मेरे

साथ गलत काम किया, घटना गाँव के स्कूल के पास हुई थी जो गाँव के किनारे है। रूमाल सुधाते ही मैं बेहोश हो गयी थी मेरी आँख बन्द हो गयी थी, इसके बाद मैं कुछ नहीं देख पायी थी, मेरा डाक्टरी मुआयना हुआ था। घटना के दो-तीन घण्टे बाद होश आया था, जिस खेत में मेरे साथ घटना हुई उसमें धान की फसल लगी थी, घटना के समय सूट पहने थी, सूट के नीचे अण्डरगार्मेन्ट था जो आज मेरे सामने नहीं है, मैं इन कपड़ो को थाने में दो-तीन दिन बाद दे दिया था एवं साक्षी को धारा 164 द०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया व दिखाया गया तो पीड़िता ने उस पर लगे फोटो को अपना होना बताया, जिस पर मेरा निशानी अंगूठा लगा है. जिसे पुष्टि करती हूँ जिस पर प्रदर्श क-3 डाला गया।"

१०. **अभियोजन साक्षी सं० 03. तारावती/पीड़िता की माँ** को परीक्षित कराया गया है, जिनके द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि "पीड़िता मेरी पुत्री है, घटना के समय वह नाबालिग थी जिसकी उम्र उस समय सोलह सत्रह वर्ष थी। घटना वाले दिन पीड़िता को बुखार आ रहा था, कृष्णपाल ग्राम इटौआ केदारनाथ का रहने वाला है, राम किशोर, कृष्णपाल का बहनोई है। यह दोनो मेरी बेटी को दवा दिलाने के बहाने घर से बुलाकर ले गये, लेकिन अस्पताल नहीं ले गये, इन्होंने बड़ा बुरा काम करा। मेरी बेटी को नशा सुंघाकर रूमाल में दिया था, गन्ने के खेत में इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ बारी-बारी गलत काम किया और जान से मारने की धमकी दी थी कि बात किसी को बतायीं तो जान से मार देंगे। मेरी बेटी ने उक्त बात आकर मुझे बतायी थी, तब मैने अपने पति को बताया, तब मेरे पति ने घटना की रिपोर्ट लिखवायी थी। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। जिरह में कथन किया कि "बलात्कार मेरे सामने नही हुआ था बल्कि पीड़िता ने बलात्कार वाली बात बतायी थी, पीड़िता को मुल्जिमान घर से मेरे सामने ले गये थे, जिस समय ये दोनों बुलाकर ले गये उस समय मुझे कल्पना नहीं थी कि यह दोनों गलत काम करेंगे।

११. **अभियोजन साक्षी सं०- 4. डा० अनीता धस्माना** को परीक्षित कराया गया है, जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि दिनांक 29.9.2018 को बतौर वरिष्ठ परामर्शदाता महिला जिला अस्पताल, बरेली में तैनात थी। उस दिन पीडिता को चिकित्सीय परीक्षण हेतु महिला कां० तारा देवी द्वारा लाया गया था, उसके साथ पिता सोमपाल भी थे, उन्होंने पीड़िता का आन्तरिक एवं बाह्य चिकित्सीय परीक्षण कराने से मना कर दिया था। उसके उपरांत पीड़िता व उनके पिता का निशानी अंगूठा प्रमाणित किया गया।

१२. **अभियोजन साक्षी सं०-5. कां० मनोज कुमार** को परीक्षित कराया गया है,

जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि दिनांक-18.9.2018 को थाना नवाबगंज में कां० के पद पर तैनात था। समय 12.30 बजे एक डाक पैड से प्रार्थनापत्र आदेशित एस.एस.पी. बरेली व एस.एच.ओ. नवाबगंज प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर मेरे द्वारा सी./सी. टी.एन.एस. से कम्प्यूटर पर मु०अ०सं० 456/2018 अन्तर्गत धारा 376 भा० दं० सं० व धारा 3/4 पाक्सो अधिनियम राज्य बनाम कृष्णपाल आदि, प्रार्थनापत्र से शब्द ब शब्द बोलकर टाइप कराया था। इस मुकदमें का खुलासा मेरे द्वारा नकल रपट सं0 31, दिनांक 18.9.2018 को 12.30 बजे ही कम्प्यूटर पर टाइप करवाकर किया। पत्रावली में शामिल कागज सं० 8ख/8 नकल रपट सी०डी० मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर बोलकर टाइप करायी गयी जो पत्रावली में शामिल है, जिस पर दिवसाधिकारी के हस्ताक्षर हैं तथा थाना कार्यालय की मुहर लगी है जिस पर प्रदर्श क-6 डाला गया। प्रदर्श क-1 पर एस.एच.ओ. नवाबगंज द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया गया तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की मुहर लगी होने के कारण एस.एच.ओ. ने यह मुकदमा पंजीकृत कराया था।

१३. **अभियोजन साक्षी सं०-6. उ०नि० बलवीर सिंह** को परीक्षित कराया गया है, जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि उपनिरीक्षक अरविन्द सिंह चौहान मेरे साथ तैनात रहे जिन्हें लिखते पढ़ते देखा है और उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूँ, मेरे द्वारा मु०अ०सं० 436/2018, धारा 376 भा०दं०वि० व धारा 3/4 पाक्सो अधिनियम की विवेचना ग्रहण करके पर्चा-1 में नकल चिक, नकल रपट का विवरण अंकित किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक कां०/क० मनोज कुमार का बयान अंकित किया, उनके द्वारा वादी के मोबा० नं0 7409008231 पर सम्पर्क करके पीड़िता के बयान अंकित कराने हेतु बुलाया गया। दिनाँक 25.9.2018 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से विवेचना मुझ एस.एच. ओ. द्वारा ग्रहण पर्चा-2 में की गयी। दिनाँक 29.9.2018 को पर्चा-3 में वादी तथा पीड़िता के बयान लेखबद्ध किया गया। बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० का अवलोकन कर जी.डी. में अंकित किया जो एल.सी. सोनिया द्वारा लेखबद्ध किया गया तथा वादी की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा-नजरी तैयार किया गया। पत्रावली में शामिल नक्शा-नजरी प्रदर्श 5क मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क-7 डाला गया।

१४. **अभियोजन साक्षी सं० 7. उ०नि० श्रीकान्त द्विवेदी** को परीक्षित कराया गया है, जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि दिनाँक 03.10.2018 को थाना नवाबगंज में बतौर एस.एच.ओ.

तैनात था। उस दिन मैंने मु०अ०सं० 436/2018, धारा 376 भा०दं०वि० व धारा 3/4 पाक्सो अधिनियम की विवेचना ग्रहण की थी, जिसमें पर्चा 4 में पूर्व विवेचक द्वारा किता की गयी सी.डी. का अवलोकन किया। **दिनाँक 05.10. 2018 को पर्चा 5 में पीड़िता की आयु परीक्षण रिपोर्ट का विवरण अंकित किया। पीड़िता ने अपने आन्तरिक परीक्षण कराने से इंकार कर दिया है।** दिनाँक 20.10.2018 को पर्चा-9 में पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० का अवलोकन करके उसका विवरण अंकित किया। पीड़िता द्वारा अपनी आयु शैक्षिक प्रमाण पत्र राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोतीनगर क्षेत्र अर्जुनपुर, हल्द्वानी जनपद नैनीताल प्रस्तुत किया जिसके अनुसार पीड़िता की जन्म तिथि 15.6.2001 है। पीड़िता की उम्र सत्रह वर्ष दो माह पन्द्रह दिन होती है। दिनाँक 11.11.2013 को पर्चा-11 में जरिये मुखबीर सूचना मिली कि पछुआ पैगा में दोनो मुल्जिमान मेन चौराहे बाईगाता बीजानऊ गेट करबा नवाबगंज में खड़े होकर गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, समय 18.00 बजे दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके थाने में दाखिल करके उनका बयान अंकित किया गया। दिनांक 12.11.2018 को पर्चा 12 में मुल्जिमान का मेडिकल परीक्षण सी.एच.सी. नवाबगंज में कराकर उसका विवरण अंकित किया गया। दिनाँक 28.11.2018 को पर्चा 16 में पीड़िता की चढ़ढी कब्जा पुलिस लिया, फर्द बनाकर गवाहान के हस्ताक्षर बनवाकर सील मुहर किया। पत्रावली में शामिल फर्द मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-4 पूर्व में डाला जा चुका है तथा फर्द के गवाहान के बयान लिखे। मुकदमें में संकलित की गयी साक्ष्य से पर्याप्त आधार पाते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त कृष्णपाल व रामकिशोर उर्फ राम किशन के विरूद्ध जुर्म धारा 376डी, 506 भा० दं० सं० द धारा 3/4 पाक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र सं०- 462/2018 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। केस डायरी के हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क-8 डाला गया। अपीलार्थी/अभियुक्त के गिरफ्तारी मेमो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसे पुष्ट करता हूँ जिस पर प्रदर्श क-9 डाला गया। पत्रावली में शामित विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट तथा प्राप्ति रसीद पत्रावली में शामिल है जिस पर मैंने रवानगी जी०डी० का उल्लेख किया।

१५. **अभियोजन साक्षी सं० 8. प्रधानाचार्य, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोतीनगर हल्द्वानी, जिला नैनीताल** को परीक्षित कराया गया है, जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि "पीड़िता ने हमारे विद्यालय में कक्षा एक में दिनाँक 19.03.2007 को प्रवेश लिया था, कक्षा एक से दो तक दिनांक 30.9.2009 तक अध्ययनरत रही। पीड़िता की मूल प्रवेश रजिस्टर को साथ लेकर आयी हूँ, मूल

टी.सी. भी लायी हूँ। एस.आर. रजिस्टर व टी.सी. के क्रमांक सं0 1287 पर पीड़िता पुत्री की जन्म तिथि 15.6.2001 अंकित है। उक्त छात्रा जनपद बरेली उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, मैं उक्त छात्रा के प्रवेश रजिस्टर व टी. सी. की प्रमाणित प्रतियां दाखिल कर रही हूँ, जिस पर कमशः प्रदर्श क 12 व प्रदर्श क-13 डाला गया। पत्रावली में शामिल कागज सं० 4ख/20 में जन्म तिथि 15.6.2000 अंकित है जिसे मैं अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करती हूँ, जिस पर प्रदर्श क-14 डाला गया है। प्रवेश पत्र उत्तराखण्ड राज्य का है।

१६. विचारण न्यायालय ने मामले में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा मामले में दिये गये तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार एवं परिमिन्दर बनाम दिल्ली राज्य (2014) 2 एस.सी.सी.592 एवं तमिलनाडु राज्य बनाम रवि उर्फ नेहरू 2006 (55) ए सी सी 1005 सुप्रीम कोर्ट एवं गंगा सिंह प्रति मध्य प्रदेश राज्य 2013 सुप्रीम कोर्ट 3008 एवं अन्य बहुत सी नजीरों के आधार तथा अभियोजन साक्षीगण व बचाव साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय ने यह पाया कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला उचित संदेह से परे स्थापित किया है, जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त रामकिशोर उर्फ राम किशन को धारा 376डी भा०दं०वि० के अधीन आजीवन कारावास और एक लाख रूपये के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में छः-छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास एवं धारा 506 (2) भा०दं०वि० के अधीन पांच वर्ष कारावास और सात हजार रूपये के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में एक माह का अतिरिक्त करावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

१७. **अपीलार्थी/अभियुक्त के दोषसिद्धि और सजा के प्रश्नगत निर्णय/आदेश को चुनौती देते हुए उसके विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया किः-**

(क) विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के खिलाफ दोषसिद्धि व सजा का निष्कर्ष उचित नहीं है, क्योंकि तथ्य के अभियोजन साक्षीगण के बयानों में विरोधाभाष है। उनके द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विधिक सलाह व राजनीतिक दबाव के उपरांत अति विलंब से पंजीकृत करायी है, इसका कोई समुचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहां विचारणीय तथ्य यह भी है कि जब पुलिस द्वारा कथित पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराने हेतु चिकित्सालय ले जाया गया तब पीड़िता के पिता द्वारा पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराने से इंकार कर दिया गया है, जो धारा 164ए दं०प्र०सं० का उल्लघंन है। यह कथित घटना

के संदिग्धता को परिलक्षित कर रहा है एवं इस बात का समर्थन अभियोजन साक्षी सं०-4 डा० अनीता धस्माना के बयान से भी स्पष्ट होता है जिन्होंने अपने बयान में कथन किया कि "पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण के समय उसके पिता आये थे, उन्होंने अपनी पुत्री का आंतरिक एवं बाह्य परीक्षण कराने से मना कर दिया था।"

(ख) उनके द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोगी ने अपनी तहरीर में खेत की मेड़ पर आँख खुलने पर पीड़िता को पाना कहा है, मौखिक बयान में भी वही बयान दिया गया है, जबकि पीड़िता/अभियोजन साक्षी सं०-02 ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटनास्थल गन्ने का खेत होना कहा है, जबकि जिरह में घटनास्थल के पास धान का खेत होना कहा है, इससे घटनास्थल भिन्न-भिन्न हो जाता है तथा घटनास्थल संदिग्ध हो जाता है।

(ग) पीड़िता/अभियोजन साक्षी सं०-02 ने अपने बयान में कहा कि जब वह घर से बाहर दवा लेने के लिए जा रही थी, उसे रास्ते में अभियुक्त कृष्णपाल ने जबरदस्ती मोटर साइकिल पर जबरदस्ती बैठा लिया तथा उसी बयान में राम किशोर को जबरदस्ती मोटर साइकिल पर बैठाना कहा है, जबकि पीड़िता की मां ने पीड़िता को अभियुक्त कृष्णपाल के द्वारा घर से अपनी मोटरसाइकिल द्वारा ले जाना कहा है तथा अभियोगी ने अपनी तहरीर में फोटो खींचना कहा है, जबकि फोटों खींचने वाली बात पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 दं०प्र०सं० में अभिकथित नहीं किया है और न ही अभियोजन पक्ष द्वारा कथित कोई अश्लील फोटो पत्रावली पर दाखिल किया गया है।

(घ) उनका यह भी तर्क है कि कथित पीड़िता के आयु के संबंध में प्रस्तुत प्रदर्श-7क/शैक्षिक प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता संदेहास्पद है, क्योंकि अभियोजन साक्षी सं० 8/प्रधानाचार्य राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोतीनगर हल्द्वानी, जिला नैनीताल द्वारा अपने परीक्षण में यह कथन किया गया कि "यह कहना सही है कि प्रवेश के समय जन्मतिथि के संबंध में कोई अन्य शपथ-पत्र या जन्म के संबंध में कोई प्रमाण पत्र नगर निगम, ग्राम पंचायत या प्रधान का मेरे द्वारा नहीं लिया गया था और न ही सोहन लाल द्वारा ही दिया गया था।" और न ही उपरोक्त शैक्षणिक/स्थानांतरण प्रमाण प्रपत्र को संबंधित सक्षम उच्चाधिकारी द्वारा प्रतिचिन्हित किया गया है।

(च) यहां अति विचारणीय तथ्य यह भी है कि कथित घटना में पीड़िता का बरामद/संकलित अंडरवियर, जिसे जांच हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किया गया था, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र० मुरादाबाद से प्राप्त रिपोर्ट के परिक्षण परिणाम में "वस्तु- अंडरवियर पर मानव रक्त पाया गया।, वस्तु- अंडरवियर पर शुक्राणु तथा वीर्य नहीं पाया गया" अंकित है, जो अभियोजन कहानी को पूर्णतः असत्य परिलक्षित कर

रहा है। इस प्रकार कथित घटना में अपीलार्थी/अभियुक्त की भूमिका संदेह से परे साबित नहीं हो रही है।

१८. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया है एवं विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचारोपरांत दोषसिद्धि के निष्कर्ष पर पहुंचने के उपरांत अपीलार्थी/अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय/आदेश में कोई अवैधता या विकृति नहीं है और इस प्रकार आरोपित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है।

१९. प्रश्नगत प्रकरण में अभियोजन साक्षीगण के अभिकथनों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विचारण न्यायालय इस निर्ष्कष पर पहुंचा कि अभियुक्त राम किशोर द्वारा अन्य सहअभियुक्त कृष्णपाल के साथ मिलकर अवयस्क पीड़िता को दवा दिलाने के बहाने से घर से ले जाकर उसकी इच्छा के विरूद्ध रूमाल सूंघाकर जबरदस्ती सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया तथा पीड़िता के साथ गुरूत्तर लैंगिक प्रवेशन हमला कारित किया गया, क्योंकि अभियोजन द्वारा पीड़िता के बयान, वादी की तहरीर व धारा 164 दं०प्र०सं० के बयान से घटना को पूर्ण रूप से साबित किया गया है तथा विचारण न्यायालय ने गंगा सिंह प्रति मध्य प्रदेश राज्य 2013 सुप्रीमकोर्ट 3008 में प्रतिपादित विधि-व्यवस्था के आलोक में विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त राम किशोर को धारा 376डी भा०दं०वि० के अधीन आजीवन कारावास और एक लाख रूपये के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में छः-छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास एवं धारा 506 (2) भा०दं०वि० के अधीन पांच वर्ष कारावास और सात हजार रूपये के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में एक माह का अतिरिक्त करावास के दण्ड के अधीन दण्डित किया गया है, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय पीड़िता के मेडिको-लीगल रिपोर्ट व विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मुरादाबाद, उ०प्र० द्वारा निर्गत परीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी है।

२०. **अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा विचारण न्यायालय के मूल पत्रावली सहित पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया, तदोपरांत इस न्यायालय का अभिमत है किः-**

(क) अभियोजन साक्षी सं०2/पीड़िता द्वारा अपने धारा 161 दं०प्र०सं० व 164 दं०प्र०सं० के बयान व मुख्य परीक्षा में अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा उसके दुराचार किये जाने का कथन किया गया है, किंतु जब पुलिस द्वारा कथित पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराने हेतु चिकित्सालय ले जाया गया तब पीड़िता के पिता द्वारा पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराने से इंकार कर दिया गया है, इसकी परिपुष्टि अभियोजन साक्षी सं०- 4 .डा० अनीता धस्माना के अभिकथन से भी हो रही है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा घटना की सत्यता की परिपुष्टि के लिए अपनी ओर से प्रयास नहीं किया गया।

(ख) कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट भी विलंबित है। अभियोजन साक्षी सं० 2/ पीड़िता द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि "मैं दवा लेने बरौर जा रही थी, रास्ते में मेरे ममेरे भाई कृष्णपाल ने जबरदस्ती मोटर साइकिल पर बैठा लिया।.......जिस खेत में मेरे साथ घटना हुई उसमें धान की फसल लगी थी", जबकि अभियोजन साक्षी सं० 2/पीड़िता की मां द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि "यह दोनों मेरी बेटी को दवा दिलाने के बहाने घर से बुलाकर ले गये, लेकिन अस्पताल नहीं ले गये, इन्होंने बड़ा बुरा काम करा।..... गन्ने के खेत में इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ बारी-बारी गलत काम किया" इस प्रकार उक्त दोनों अभिकथन में परस्पर विरोधाभाष है।

(ग) कथित पीड़िता के आयु के संबंध में कथित पीड़िता का प्रस्तुत प्रदर्श-7क/शैक्षिक प्रमाण पत्र के संबंध में अभियोजन साक्षी सं० 8/राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोतीनगर हल्द्वानी, जिला नैनीताल द्वारा अपने परीक्षण में यह कथन किया गया कि "यह कहना सही है कि प्रवेश के समय जन्मतिथि के संबंध में कोई अन्य शपथ-पत्र या जन्म के संबंध में कोई प्रमाण पत्र नगर निगम, ग्राम पंचायत या प्रधान का मेरे द्वारा नहीं लिया गया था और न ही सोहन लाल द्वारा ही दिया गया था।" एवं न ही उपरोक्त शैक्षणिक प्रमाण को संबंधित सक्षम उच्चाधिकारी द्वारा प्रतिचिन्हित किया गया है, जिससे पीड़िता के वास्तव में नाबालिग होने की परिपुष्टि नहीं हो रही है।

तथ्य यह कि पीड़िता के शरीर पर कोई बाह्य चोट नहीं पाया गया, जबकि उसके द्वारा यह दावा किया गया कि उसके साथ कृषि क्षेत्र/खेत में दुराचार किया गया था। यह एक ऐसा पहलू है, जो अभियोजन पक्ष के संस्करण पर संदेह उत्पन्न करता है।

(घ) कथित घटना में पीड़िता का बरामद/संकलित अंडरवियर, जिसे जांच हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किया गया था, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र० मुरादाबाद से प्राप्त रिपोर्ट के परिक्षण परिणाम में "वस्तु-

अंडरवियर पर मानव रक्त पाया गया।, वस्तु- अंडरवियर पर शुक्राणु तथा वीर्य नहीं पाया गया" अंकित है, इससे अभियोजन कहानी की परिपुष्टि नहीं हो रही है एवं पीड़िता के साथ दुराचार होने के संबंध में अन्य कोई समर्थनीय चिकित्सीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि **Sadashiv Ramrao Hadbe Vs. State of Maharastra, 2007 (1) SCC (Cri.) 161** में मा० उच्चतम न्यायालय ने माना है कि अभियोक्ता की एकमात्र गवाही पोषणीय है, यदि यह न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करती है, लेकिन यदि अभियोक्ता द्वारा दिया गया संस्करण किसी भी चिकित्सीय साक्ष्य के द्वारा समर्थित नहीं है या पूरे आसपास की परिस्थियां अत्यधिक असंभाव्य है और अभियोक्ता द्वारा स्थापित मामले को झूठा साबित करती हैं, तो न्यायालय अभियोक्ता के एकमात्र साक्ष्य पर कार्यवाही नहीं करेगा। उपयुक्त निर्णय का प्रस्तर सं० -9 इस प्रकार हैः-

"9. It is true that in a rape case the accused could be convicted on the sole testimony of the prosecutrix, if it is capable of inspiring of confidence in the mind of the court. If the version given by the prosecutrix is unsupported by any medical evidence or the whole surrounding circumstances are highly improbable and belie the case set up by the prosecutrix, the court shall not act on the solitary evidence of the prosecutrix. The courts shall be extremely careful in accepting the sole testimony of the prosecutrix when the entire case is improbable and unlikely to happen."

(च) यहां विचारणीय तथ्य यह भी है कि धारा-42 पाक्सो अधिनियम में अनुकल्पिक दण्ड का प्रावधान किया गया है, जहाँ भा०दं०वि० तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन दोनो अपराध गठित होते हैं, वहाँ तत्समय प्रवत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस दण्ड का भागी होगा, जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अधिक मात्रा में गुरूत्तर है, उससे दण्डित किया जायेगा। प्रस्तुत मामले में धारा 376डी भा०दं०वि० में कम से कम बीस वर्ष के दण्ड का प्रावधान व आजीवन कारावास तक के दण्ड का प्रावधान है। इसी प्रकार धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में भी बीस वर्ष से कम की सजा का प्रावधान न होने के साथ-साथ आजीवन कारावास के दण्ड का प्रावधान है, यद्यपि धारा 4 लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में उक्त दण्ड को सोलह वर्ष से कम उम्र की पीड़िता के साथ हुए बलात्कार से सम्बन्धित होने पर है, जबकि धारा 376डी भारतीय दण्ड संहिता में उम्र का कोई प्रतिबंध नही लगाया गया है।

२१. हमने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार किया है, जैसा कि पिछलें

प्रस्तरों में चर्चा की गई है और उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात हम पाते हैं कि मामले के तथ्य के साक्षीगण और पीड़िता के बयान चिकित्सीय साक्ष्य से मेल नहीं खाते हैं। साथ ही इस तथ्य को भी शामिल किया गया कि साक्षीगण द्वारा अपराध को देखने के तरीके में विरोधाभास है। इस स्तर पर हम सुविचारित राय के हैं कि अभियोजन पक्ष, अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए दुराचार के आरोपों को बखूबी साबित करने में विफल रहा है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार है। पीड़िता के कथनों में विरोधाभाष के कारण उसे (पीड़िता) को निर्विवाद पीड़िता की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। अतः पीड़िता के कथनों के विरोधाभाष एवं अन्य किसी संपुष्टि की अनुलब्धता में अपीलार्थी को सजा दिया जाना उचित न होगा।

२२. तदनुसार, पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्यों पर विचार-विमर्श करने के मद्देनजर, **यह आपराधिक अपील स्वीकार की जाती है** तथा मु०अ०सं० 436/2018, धारा 376डी, 506 भा०दं०वि० व धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, थाना नवाबगंज, जनपद बरेली से उद्भूत फौजदारी वाद सं० 303/2020 (उ०प्र० राज्य बनाम राम किशोर उर्फ रामकिशन) को अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी/ अभियुक्त को धारा 376डी भा०दं०वि० के अधीन आजीवन कारावास और एक लाख रूपये के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में छः-छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास एवं धारा 506 (2) भा०दं०वि० के अधीन पांच वर्ष कारावास और सात हजार रूपये के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में एक माह का अतिरिक्त कारावास के दण्ड के अधीन दण्डित अपराध से **दोषमुक्त** किया जाता है।

२३. अपीलार्थी/अभियुक्त, यदि धारा 437-ए दं०प्र०सं० के अनुपालन के अधीन किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे अविलंब कारागार से अवमुक्त कर दिया जाय।

२४. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस भेज दिया जाय तथा इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित विचारण न्यायालय को अनुपालन हेतु तुरंत भेजना सुनिश्चित किये जाय।

(2024) 11 ILRA 554
ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: LUCKNOW 05.11.2024

BEFORE

THE HON'BLE ALOK MATHUR, J.

Writ-A No. 1934 of 2018

Vijay Bahadur Verma ...Petitioner
Versus
State of U.P. & Ors. ...Respondents

Counsel for the Petitioner: